UTTAR PRADESH 3432 200 Rs.

Sharafat Ali
19.12.64

Ramesh Chandra
19/12/64

Ahsan Husain
Advocate
19.12.64

-१-

मैं शराफत अली पुत्र श्री सखावत अली साकिन मौज़ा हरवारा परगना व तहसील चायल जिला इलाहाबाद का हूं।

जो कि मुकिर तनहा मालिक व काबिज़ व भूमिधर आराज़ी नम्बरी व तादादी मुसरहा ज़ैल का है जिस का कि मुकिर भूमिधर बाद दाखिल करने दस गुना लगान के बन चुका है जिस में कोई दूसरा साफीदार नही है और जो इस समय तक हर तरह के बार से पाक व साफ है मुकिर को आराजी भूमिधारी मुसरहा ज़ैल से कोई खास फायदा नही होता है क्योंकि मैं उसका इन्तेज़ाम खुद नही कर सकता हूं लेहाज़ा मैं ने उस को

INDIA NON JUDICIAL

१००रू. Rs 100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

-२-

बेच देना तय किया । आराजी भूमिधारी मुसरहा जैल मय फसल जो कि इस समय खड़ी है उसका दाम मुफ को ८००० आठ हज़ार रुपया मिल रहा है इससे ज़ायद क़ीमत और कोई शख्स देने को तैयार नही है जमाने के लेहाज़ से उसकी कीमत बहुत ही माकूल है लेहाज़ा मैं अपने राजी व ख़ुशी से बिला किसी के धमकाये व बहकाये व अपने होश व हवास में व बाद लेने सलाह व मश्वेरा अपने बिही ख्वाहान व मशीरान क़ानूनी के आराज़ी भूमिधारी नम्बरी व तादादी मुसरहा जैल मय फसल अरहर जो कि इस समय खड़ी हुई है सब के सब को बएवज़ मुबलिग़ ८००० आठ हज़ार रुपया कि जिस का आधा मु० ४००० चार हज़ार रुपया होता है जो कि मुफ को हाकिम

ह० Sharafat Ali
19.12.64

UTTAR PRADESH 50Rs.

पचास रुपया

भारत INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50Rs.

रजिस्ट्री इलाहाबाद के सामने मिले हैं बदस्त श्री पृथ्वी नाथ कपूर पुत्र स्वर्गबासी श्री मनमोहन लाल कपूर निवासी न० २६ रानी मन्डी इलाहाबाद व श्रीमती राम कली गुप्ता पत्नी श्री अनन्त बिहारी लाल गुप्ता साकिन न० ३३, ठठेरी बाज़ार इलाहाबाद बैचा व बय कामिल किया । मैं ने अपना कब्ज़ा व दखल बैची हुई जायदाद से उठा लिया और खरीदारान को मालिकाना काबिज़ व दखील करा दिया । आज की तारीख से बैची हुई जायदाद के मालिक व काबिज़ खरीदारान हुये । खरीदारान अपना नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा लेवें और जो जो तसर्रुफात मालिकाना व इन्तेकालात चाहें अमल में लावें । अब कोई हक व हिस्सा मेरा व मेरे वारिसान व कायम मुकामान का बैची हुई जायदाद में बाकी नही रहा । अगर बैची हुई जायदाद कुल या जुज़ मेरी मिलक्यित न होने की वजह से साथ किसी इस्तेहकाक के या किसी और वजह से या मेरे फ़ेल की वजह से कब्ज़ा व दखल खरीदारान से निकल जावे जिससे कि खरीदारान का नुकसान व खसारा होवे तो खरीदारान को हक़ होगा कि कुल ज़र समन अपना मय खसारा व नुकसान मुफ मुकिर के जात व जायदाद मनकूला व गैरमनकूला व नीज़ वारिसान व कायम मुकामान मेरे से जिस तरह पर चाहें वसूल कर लेवें इस में मुफ को व मेरे वारिसान व कायम मुकामान को कुछ उज़ न

Shafat Ali
19.12.64

25 2/5 33

AR PRADESH

10 Rs.

दस रुपया

भारत

INDIA

१० रु.

10 Rs.

TEN RUPEES

होगा । लेहाजा यह बयनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे ।

तपसील जायदाद मुबैया

आराजी भूमिधारी नम्बरी १०१ एक सौ एक तादादी २ दो बीघा १३ तेरह बिस्वा १० दस धूर मय फसल इस्तादा अरहर की मुबैया वाके मौजा हरवारा परगना व तहसील चायल जिला इलाहाबाद लगान सरकारी खरीदारान देवेंगे ।

पूरब-- सड़क । पश्चिम-- जमीन उफ्तादा पी० ए० सी० फर्स्ट बटालियन

उत्तर-- जमीन डा० अबरार व श्री मुबारक हुसैन ।

दक्खिन-- तालाब व जमीन वकील साहब की है ।

दिनांक १९ उन्नीस दिसम्बर सन् १९६४ ई०

टाइप कर्ता-- Mohd. Ishaque

मसविदा कर्ता-- [signature]

कैफियत-- आराजी भूमिधारी नम्बरी १०१ एक सौ एक मुबैया का आधा हिस्सा जानिब उत्तर जिसका कि रकबा १ एक बीघा ६ छः बिस्वा १५ पन्द्रह धूर है श्री पृथ्वी नाथ कपूर खरीदार ने खरीद किया है और बकिया आधा हिस्सा जानिब दक्खिन जिसका कि रकबा १ एक बीघा ६ छः बिस्वा १५ पन्द्रह धूर है श्रीमती राज कली गुप्ता खरीदारिया ने खरीद किया है ।

द० Sharafat-Ali
19.12.64

द० Sharafat-Ali 19.12.64

१० ता० … १८ … माह दिसम्बर सन् १९५० को श्री पृथ्वी नाथ कपूर
निवासी [illegible] नीमड़ी जिला [illegible] के द्वारा स्टाम्प [illegible] भेजा
दस्तखत [illegible] स्टाम्प विक्रेता दीवानी कचहरी [illegible] नं० ४३१

बही नं० १ जि० १२८० के पन्ना ३२४ता/३२५ में नं० ३८३२
पर आज ता० २२ दिसंबर सन् १९५० रजिस्ट्री की
गई।

File
15/1/65

22-12-52